उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–45 / 2023

लड्डु महतो उर्फ बैजनाथ दाँगी बनाम् चन्द्रदेव बेदिया एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
07/01/25	इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में चन्द्रदेव बेदिया, पिता–स्व० जयनाथ बेदिया द्वारा समर्पित भू–वापसी आवेदन के आलोक में दायर भू–वापसी वाद संख्या–176 / 2019–20 / 60 / 2020–21 चन्द्रदेव बेदिया बनाम लड्डु महतो वगै० में दिनांक–23.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध C.N.T. Act की धारा–215 के तहत अपीलार्थी लड्डु महतो उर्फ बैजनाथ दाँगी, पिता–स्व० नेमधारी महतो निवास ग्राम–चिकोर द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया। वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। विषयगत वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा–चिकोर थाना–पतरातू के खाता संख्या–53 प्लॉट संख्या–19 कुल रकवा–0.20 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ भू–वापसी वाद संख्या–176 / 2019–20 / 60 / 2020–21 चन्द्रदेव बेदिया बनाम लड्डू महतो एवं अन्य में निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक–20.03.2023 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण दायर की गई। मौजा–चिकोर, थाना नं०–52 थाना–पतरातू के खाता नं०–53 प्लाट नं०–19 रकवा–0.04½ एकड़ भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या–4534 / 4018 दिनांक–17.11.1961 के द्वारा वास्तविक स्वामी देवकी महतो पुत्र कमल महतो एवं रामसेवक महतो पुत्र तिलकनाथ महतो से क्रय किया गया था। साथ ही मौजा–चिकोर, खाता नं०–53 प्लाट नं०–19 रकवा–0.15 एकड़ भूमि इस अपीलार्थी के पूर्वज के सादा पट्टा से वर्ष प्राप्त किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष–1953 से उक्त भूमि पर काबिज है और बिना किसी बाधा कब्जे के विभिन्न कार्य कर रहा है। रकवा–0.04½ एकड़ और रकवा–0.15 एकड़ भूमि को मिलाया गया है और उक्त भूमि में एक कुआँ और दो कमरे बनाए गए हैं तथा शेष खाली भाग का उपयोग घरबारी भूमि के रूप में किया जाता है। इस भूमि पर जामुन, सीताफल, सागवान और बेल जैसे कई पेड़ हैं, जो इस अपीलार्थी के पूर्वज विपक्षी की शत्रुतापूर्ण जानकारी में लगाए गए हैं। खाता संख्या–24 प्लॉट संख्या–538 रकवा–0.46 एकड़ भूमि के संबंध में चालू सर्वेक्षण बंदोबस्त में	

नया खाता संख्या–150 नया प्लॉट संख्या–21 रकवा–0.19 एकड़ भूमि दर्ज की गई है, जो अपीलार्थी के पूर्वज नेमधारी महतो एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। अंचल अधिकारी, पतरातू की जाँच प्रतिवेदन में खाता संख्या–53 प्लॉट संख्या–19 रकवा–0.20 एकड़ भूमि के संबंध में है, जिसके बेदखली की अवधि 9–10 वर्ष बताई गई है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने दिनांक–23.12.2022 को खाता संख्या–53 प्लॉट संख्या–19 रकवा–0.20 एकड़ की भूमि के संबंध में त्रुटिपूर्ण और औपचारिक आदेश पारित किया गया। जिसकी पुष्टि पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या–4534/4018 दिनांक–17.11.1961 से भी होती है। यह आदेश अपीलार्थी कई दशकों से इस भूमि पर वास्तविक, निर्बाध, अखंड और लगातार कब्जा है। अपीलार्थी का 80 वर्षों से प्रश्नगत भूमि पर पैतृक आवासीय मकान है, तथा इस व्यापक तथ्य पर निम्न न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि छप्परबंदी प्रकृति की है। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में Dharubala Bose & Ors. Vrs. State of Bihar & Ors. वाद संख्या–CWJC No.-747/93 में। छप्परबंदी भूमि C.N.T Act की धारा–46(4–ए) के अंतर्गत लागू नहीं होती। अपीलार्थी का संबंध केवल खाता संख्या–53 प्लॉट संख्या–19 रकवा–0.19 एकड़ भूमि से है, जबकि अंचल अधिकारी, पतरातू की जाँच प्रतिवेदन में रकवा–0.20 एकड़ भूमि के संबंध में है। इस व्यापक तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने रकवा–0.19 एकड़ के स्थान पर रकवा–0.20 एकड़ का औपचारिक आदेश पारित किया। इसलिए निचली अदालत का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। संविधान के अनुसार किसी भी जाति को किसी भी श्रेणी में रखने का एकमात्र प्राधिकारी राज्यपाल का है तथा 46 C.N.T Act के अनिवार्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने बेदिया को पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा था, विपक्षी संख्या–1 पिछड़ी जाति का सदस्य है। इसलिए वह C.N.T Act की धारा–46(4–ए) के तहत किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची ने कई अवसरों पर टिप्पणी की थी कि वर्ष–1976 से पहले बेदिया अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था। हाल सर्वे में मौजा–चिकोर में स्थित भूमि के संबंध में अपीलार्थी के पूर्वज के नाम पर खतियान खोला, जिसका नया खाता संख्या–150 नया प्लॉट संख्या–21 रकवा–0.19 एकड़ भूमि है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील का आवेदन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–176/2019–20/60/2020–21 चन्द्रदेव बेदिया बनाम लट्टु महतो में दिनांक–23.13.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। ग्राम–चिकोर के खाता नं०–53 के खतियान में रूयलू महतो वल्द रामदयाल महतो वो बहरतवा महतो वल्द बोधा महतो कौम बेदिया साकिन देह दर्ज है। खाता नं०–53 का जमाबंदी पजी–II के पेज नं०–121/I पर रूयलु महतो के नाम से चल रहा है। उत्तरवादी खाता नं०–53 के खतियानी रैयत के वंशज है। उत्तरवादी के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को ऑनलाइन किये गये आवेदन जिसका आवेदन संख्या–RECID-SIT/20150824020158223 है।

उक्त आवेदन पर अपर समाहर्त्ता के पत्रांक–183 दिनांक–01.02.2016 के अनुसार प्रश्नगत जमीन कयलू महतो कौम बेदिया के नाम रैयती दर्ज है। वर्तमान में उक्त जमीन लट्टु महतो एवं अन्य जाति पिछडा वर्ग के दखल कब्जा में है। लगान रसीद निर्गत नहीं है तथा अंचल अधिकारी, पतरातू से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन कि गैर आदिवासी रैयत के द्वारा आदिवासी रैयत को 09–10 वर्षों से ग्राम–चिकोर के खाता नं०–53 प्लॉट नं०–19 रकवा–0.20 एकड़ भूमि पर से बेदखल कर दिये है।

निम्न न्यायालय द्वारा चन्द्रदेव बेदिया को प्रश्नगत भूमि वापस करने का आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा भू–वापसी का आदेश सम्पूर्ण तथ्यों एवं धारा–46(4–ए) के प्रावधान के आलोक में पारित किया गया है, जो विधि एवं तथ्य के अनुसार उचित है। अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय को गलत तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह किया गया है कि बेदिया जाति आदिवासी श्रेणी में नहीं आते है गलत है। निम्न न्यायालय के द्वारा इस बिन्दु पर Bihar scheduled Areas Regulation, 1969 के अनुसार list of Schedule Tribes, Scheduled Cast and Backward Classes :- List of scheduled tribe scheduled cast as specified in part II of the schedule to constitution (schedule tribes) order, 1950 and (scheduled cast order, 1950) as amendment by scheduled casts and scheduled tribes (amendment) Act 1956 (Act 63 of 1956) vide also scheduled casts and scheduled tribes orders, scheduled tribes list(modification) order 1956, see Bihar Gazette at page 111 dated 21.05.1957 उक्त गजट अधिसूचना में अंकित अनूसूचित जनजाति की सूची क्रमांक–7 में बेदिया जाति को रखा गया है। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि वर्ष–1950 से या उससे पूर्व से ही बेदिया जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। उपरोक्त तथ्य से ही अपीलार्थी का यह भी दावा गलत हो जाता है कि प्रश्नगत भूमि को केवाला से प्राप्त किये है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46(4–ए) के अनुसार अनुसूचित जनजाति का भूमि बिना सक्षम पदाधिकारी से भूमि बिक्री का परमिशन प्राप्त किये भूमि बिक्री नहीं कर सकते है। अपीलार्थी के द्वारा इस अपील वाद में जो आधार प्रस्तुत किया गया है उसे निम्न न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किये थे, जिसे निम्न न्यायालय ने तथ्य व तर्क के साथ अस्वीकार किया है। अपीलार्थी के द्वारा आदिवासी भूमि को प्राप्त करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनके द्वारा किये जा रहे दावा को बल मिल सके। प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के हिस्से की भूमि है। इसलिए खतियानी रैयत के अन्य वंशज को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी अपील के आवेदन के आधार के क्रमांक–5 में लिखे है कि छप्परबन्दी भूमि पर धारा–46(4–ए) लागु नहीं होता है। इस विषय में उत्तरवादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि छपरबन्दी भूमि नहीं है जो खतियान में जमीन की प्रकृति एवं स्वयं अपीलार्थी के अपील आवेदन के कण्डिका–3 में यह लिखना कि प्रश्नगत भूमि धरबारी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए अपीलार्थी का यह अपील आवेदन खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–176/2019–20/60/2020–21 में विधि एवं

तथ्य के अनुसार उचित आदेश पारित किये है जिस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करना उचित प्रतित नहीं होता है। इसलिए अपीलार्थी का यह अपील का आवेदन खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों कागजातों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अपील के आवेदन को खारिज करते हुए भू–वापसी वाद संख्या–176/2019–20/60/2020–21 को निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, पतरातू से प्राप्त भू–वापसी वाद संख्या–176/2019–20 में संलग्न जाँच प्रतिवेदन में "अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सर्वे खतियान के अनुसार ग्राम चिकोर के खाता नं०–53 प्लॉट नं०–19 रकवा–0.95 ए० भूमि रूयलु महतो वगै० कौम बेदिया दर्ज है। विवादित्त भूमि का वर्तमान स्वरूप द्वितीय पक्ष का मकान एवं सहन है। आवेदक के बेदखल की अवधि 09–10 वर्ष है। द्वितीय पक्ष के विरूद्ध भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।" जिसके आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने Objervation में पाया है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। द्वितीय पक्ष निबंधित एवं सादा केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा कर रहे है उनका यह कथन कि बेदिया जाति को पिछडी जाति के अन्तर्गत बिहार सरकार के द्वारा दिनाक–18.07.1962 के बिहार गजट और अधिसूचना में रखा गया था सही नहीं है। Bihar Scheduled Areas Regulation, 1969 के अनुसार List of Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Backward Classes :- List of Scheduled Tribes Scheduled Castes as Specified In Part II of The Schedule To Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 And (Scheduled Castes Order, 1950) as Amended By Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 1956 (Act 63 of 1956), Vide also Scheduled Castes And Scheduled Tribes Orders, Scheduled Tribes Tribes Lists (Modification) Order, 1956, see Bihar Gazette at page 111 dated 21.05.1957, उक्त गजट अधिसूचना में अंकित अनूसूचित जनजाति की सूचि क्रमांक–07 में बेदिया जाति को रखा गया है। उक्त के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा बेदखली की अवधि 12 वर्षो से अधिक का मानते हुए भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा सादा एवं निबंधित केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते है। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। विषयगत वाद में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा बेदखली की अवधि 12 वर्षो से कम (09–10 वर्ष) होने के आधार पर भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है जो विधि–सम्मत प्रतीत होता है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से

स्पष्ट होता है कि मौजा–चिकोर थाना–पतरातू के खाता संख्या–53 प्लॉट संख्या–19 कुल रकवा–0.20 ए० भूमि रैयती खाते की भूमि है। विचाराधीन भूमि की भू–वापसी हेतु विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वाद संख्या–176/2019–20/60/2020–21 चन्द्रदेव बेदिया बनाम लट्टु महतो वगै० दायर की गई थी। उक्त वाद में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा बेदखली की अवधि 12 वर्षो से कम (09–10 वर्ष) होने के कारण भू–वापसी आवेदन स्वीकृत किया गया है एवं प्रश्नगत भूमि पर भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि किस प्रकार से हासिल की गई इसका कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रश्नगत भूमि की वर्तमान जमाबंदी अपीलार्थी के नाम से कायम नहीं है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। प्रभावी पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 07/01/25
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 07/01/25
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.02.21 18:13:38 +05:30
Location: 192.168.251.197